लीलावती अग्रवाल (मृतका) जरिये एल.आर. और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

(2007 की सिविल अपील सं. 1363)

अप्रैल 4, 2008

[डॉ.अरिजीत पासायत, पी. सदाशिवम, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894- धारा 23 (1- ए), 23 (2) और 28- हकदारी के तहत दावा- धारा 4, 21.04.1965 को जारी की गई अधिसूचना- धारा 6, 10.11.1966 को जारी की गई अधिसूचना- कलेक्टर द्वारा दिनांक 06.04.1972 को पारित अवार्ड- संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 30 दिनांक 24.09.1984 से प्रभावी- निर्देश न्यायालय द्वारा निर्णित निर्देश दिनांक 30.09.1985- उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिपूर्नन वाद के निर्णय को देखते हुए दावेदार धारा 23 (1- ए), 23 (2) और 28 के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं- अपील में, अभिनिर्धारित किया गया: संवैधानिक पीठ ने रघुवीर सिंह वाद में 2 अंतिम बिंदु निर्धारित किए कि कलेक्टर द्वारा पारित अवार्ड या निर्देश न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.04.1982 और 24.09.1984 के मध्य होना चाहिए था- तीन न्यायाधीशों की बैंच ने परिपूर्नन वाद में यह निष्कर्षित किया कि प्रतिबंधात्मक निर्वचन नहीं दिया जाना चाहिए- जैसा कि तीन न्यायाधीशों के बैंच ने जो व्याख्या दी वह संवैधानिक पीठ द्वारा कहे गए के विपरीत थी, तीन न्यायाधीशों की बैंच द्वारा दिए गए मत की शुद्धता के लिए मामले को बड़ी बैंच के समक्ष भेजा गया- भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984- धारा 30।

के.एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य 1994 (5) एससीसी 593 भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह 1989 (2) एससीसी 754, के.एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य 1995 (1) एससीसी 367- को निर्दिष्ट।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 1363/2007।

मूल डिक्री नंबर 32 और 33/1986 से अपील में झारखंड उच्च न्यायालय रांची का निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 19.02.2003 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 2468, 2469, 2470, और 2471/2008।

हिमांशु मुंशी, अनीप सचथे, मोहित पोल, गोपाल प्रसाद, अनिल के झा, बी.बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह उपस्थित होने वाले पक्षों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. एस.एल.पी.(सी) 2004 का संख्या 15653, 15657, 15683 और 20741 प्रार्थना स्वीकृत।

2. इन सभी अपीलों में समान प्रश्न शामिल हैं और इसलिए इन्हें निपटान के लिए एक साथ लिया जाता है। इन अपीलों में शामिल बुनियादी मुद्दे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 23(1-ए), 23(2) और धारा 28 के तहत लाभ के लिए दावेदारों/अपीलकर्ताओं की पात्रता से संबंधित हैं ।

3. तथ्यात्मक स्थिति लगभग निर्विवाद है और मूलतः इस प्रकार है:

अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना 21.4.1965 को जारी की गई थी, **धारा- 6** अधिसूचना 10.11.1966 को जारी की गई थी और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का अवार्ड 6.4.1972 को जारी किया गया था। भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम,

1984 की धारा 30 (संक्षेप में संशोधन अधिनियम) 24.9.1984 से पेश और लागू की गई थी। संदर्भ न्यायालय ने 30.9.1985 को संदर्भ का फैसला किया, उच्च न्यायालय ने माना कि के एस पारिपूर्णन बनाम केरल राज्य [1994(5) एससीसी 593] में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अपीलकर्ता धारा 23(1-ए), 23(2) और अधिनियम की धारा 28 के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 23 (1-ए) के तहत लाभ केएस परिपूर्णन के मामले (इसके बाद 'परिपूर्णन I' के रूप में संदर्भित) में जो कहा गया है, निर्णय के मद्देनजर अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकता है।फिर भी इस न्यायालय के भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह [1989(2) एससीसी 754] और के एस परिपूर्णन बनाम केरल राज्य [1995(1) एससीसी 367] (इसके बाद 'परिपूर्णन II' के रूप में संदर्भित) में अपनाए गए दृष्टिकोण अनुरूप अधिनियम की धारा 23(2) और धारा 28 के तहत लाभ उपलब्ध हैं।

5. प्रतिवादी-राज्य और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (संक्षेप में 'बीसीसीएल') के विद्वान वकील, लाभार्थी जिसके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ने प्रस्तुत किया कि परिपूरण II में लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि रघुबीर सिंह के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा कही गई बातों के विपरीत तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक स्पष्ट रूप से विपरीत निर्णय लिया था।

6. उत्तर के माध्यम से अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हाल ही में पन्ना लाल घोष बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर [2004(1) एससीसी 467] में भी इस न्यायालय ने परिपुरानन II के मामले (ऊपर) में अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाया है।

7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की विवेचन करने के लिए रघुवीर सिंह के मामले (ऊपर) में जो कहा गया है उस पर ध्यान देना आवश्यक है जो इस प्रकार है:

"31. धारा 30(2) के अर्थ में, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यहां संदर्भित कलेक्टर द्वारा दिया गया अवार्ड मूल अधिनियम की धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दिया गया अवार्ड है, और न्यायालय द्वारा दिया गया अवार्ड मूल अधिनियम की धारा 23 के तहत मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया अवार्ड है, उस मुद्दे पर जहां मूल अधिनियम की धारा 19 के तहत कलेक्टर ने उसे संदर्भ किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बढे हुए मुआवजे का लाभ धारा 30 (2) के तहत अभिपे्रत है, जो कलेक्टर द्वारा अवार्ड 30.04.1982 और 24.09.1984 के बीच दिया गया है। इसी तरह 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच न्यायालय द्वारा दिए गए एक अवार्ड के मामले में बढे हुए मुआवजे का लाभ धारा 30(2) द्वारा बढ़ाया जा सकता है भले ही यह 30-4-1982 से पहले दिए गए एक अवार्ड के संदर्भ में हो।

34. हमारा ध्यान पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह [1986(1) एससीसी 365] में दिए गए आदेश की ओर आकर्षित हुआ था , लेकिन उन कारणों के विवरण के अभाव में, जिन्होंने विद्वान न्यायाधीशों को वही दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो हमने पाया उस निर्णय का समर्थन करना कठिन है। इसे उन विद्वान न्यायाधीशों का अनुमोदन प्राप्त हुआ जिन्होंने भाग सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ [1985(3) एससीसी 737] का फैसला किया था, लेकिन भाग सिंह के मामले (ऊपर) के फैसले में जैसा कि हमने पहले कहा है, धारा 30 (2) के भौतिक प्रावधानों को महत्व नहीं दिया गया है और परिणामस्वरूप हम

स्वयं को इससे भिन्न पाते हैं। विद्वान न्यायाधीश इस सिद्धांत को लागू करे कि धारा 18 के तहत संदर्भ के माध्यम से न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही अपील की निरंतरता है। लेकिन हमारी राय में, एक सामान्य सिद्धांत के अनुप्रयोग को वैधानिक प्रावधान की सीमित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने सामान्य सिद्धांत पर दृढ़ता से भरोसा किया है कि अपील मूल मामले की दोबारा सुनवाई है, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि वह उस सिद्धांत को लागू करने में अच्छे आधार पर हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील बताते हैं कि धारा 30 (2) में शब्द ''या , कलेक्टर या न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड का संदर्भ और अपील में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बीच विच्छेद के रूप में प्रयोग किया गया है। वह कहते हैं, ठीक से समझने पर इसका मतलब यह होना चाहिए कि अवधि 30-4-1982 से 24-9-1984 उतना ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय आदेश पर लागू होता है जितना कि कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए पुरस्कार पर। हमारा मानना है कि संसद जो कहना चाहती है वह यह है कि धारा 30(2) का लाभउपरोक्त दो तिथियों के बीच कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए अवार्ड या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय आदेश के लिए उपलब्ध होगा, जो उक्त दो तिथियों के बीच कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए अवार्ड से उत्पन्न होता है। 'या' शब्द का उपयोग उस चरण के संदर्भ में किया जाता है जिस पर कार्यवाही उस समय रुकी होती है जब धारा 30(2) के तहत लाभ बढ़ाने की मांग की जाती है। यदि कार्यवाही उपरोक्त दो तिथियों के बीच दिए गए कलेक्टर या न्यायालय के अवार्ड के साथ समाप्त हो गई

है, तो धारा 30(2) का लाभ उपरोक्त दो तिथियों के बीच दिए गए ऐसे अवार्ड पर लागू किया जाएगा। यदि कार्यवाही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के चरण तक पहुंच गई है, तो यह उस चरण में है जब धारा 30(2) का लाभ लागू होगा, लेकिन हर मामले में, कलेक्टर या न्यायालय का अवार्ड 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच दिया जाना चाहिए। (जोर देने के लिए रेखांकित)"

8. रघुबीर सिंह के मामले में (ऊपर) दो टर्मिनस पॉइंट तय किए गए थे यानी कलेक्टर द्वारा पुरस्कार या संदर्भ न्यायालय का निर्णय 30.4.1982 और 24.9.1984 के बीच लिया गया होगा। पैरा 34 की अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मामले का निर्णय उपरोक्त टर्मिनस के बीच "जरूर" किया जाना चाहिए। परिपुरानन II के मामले (ऊपर) में पैरा 4 में यह देखा गया कि प्रतिबंधात्मक व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए। बड़े सम्मान के साथ हम इस दृश्य की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। दरअसल, तीन न्यायाधीशों की पीठ संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से दी गई व्याख्या से अलग व्याख्या देने की कोशिश कर रही थी। 9. इसलिए, रघुवीर सिंह के मामले (ऊपर) के पैरा 34 में जो कहा गया है, उसके आधार पर हम परिपूर्णन II के मामले (ऊपर) में पैरा 4 में व्यक्त दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए। आवश्यक आदेशों के लिए रिकॉर्ड भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जा सकते हैं।

बड़ी बैंच को निर्दिष्ट।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रणवीर चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।